




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 1141
No. 1141

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 1999/पौष 10, 1921
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 1999/PAUSA 10, 1921

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1999

सं. न. 1/18(28)/99-सी.ई.आर.सी.—विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम 14) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. इन विनियमों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 1999 कहा जाएगा।

2. ये विनियम दिनांक 21 दिसम्बर, 1999 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

1. इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो-

1. 'अधिनियम' से तात्पर्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 है।

2. 'आयोग' से तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 1. के तहत गठित केन्द्रीय आयोग से है।

3. 'परामर्शदाता' में कोई व्यक्ति, फर्म, निरुपेक्षित या एसोसिएशन अथवा व्यक्ति जो इस आयोग में कार्यरत नहीं है तथा जिसके पास कोई विशिष्ट जानकारी, अनुभव या दक्षता है, समाविष्ट है।

4. 'अधिकारी' से तात्पर्य इस आयोग का कोई अधिकारी है।

5. 'सचिव' से तात्पर्य आयोग का सचिव है।

12] इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में वे परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

3. कार्यक्षेत्र

11] परामर्शदाताओं की नियुक्ति सामान्यतः दिन-प्रतिदिन के नेमी कार्य जिनके लिए स्टाफ उपलब्ध है, के लिए नहीं की जाएगी ।

12] परामर्शदाताओं को विशिष्ट कार्य, जिनके लिए या तो आयोग में निपुण स्टाफ उपलब्ध नहीं है अथवा जहाँ पर कार्य की किस्म विशिष्ट और समयबद्ध है, के लिए नियुक्त किया जाएगा ।

13] प्रत्येक मामले में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने से पहले परामर्शदाता और आयोग के बीच सहमति के अनुसार विस्तृत शर्तें तय की जाएंगी ।

14] विनियोजन की शर्तों में परामर्शदाता द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्य की सही किस्म, प्रत्येक कार्य की पूर्णता के लिए अनुज्ञेय समय तथा प्रत्येक कार्य के संबंध में परामर्शदाता द्वारा पूर्ण किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

4. विनियोजन की अवधि

परामर्शदाताओं को न्यूनतम अपेक्षित अवधि के लिए विनियोजित किया जाएगा । किसी भी मामले में अधिकतम विनियोजन अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

5. परामर्शदाताओं का वर्गीकरण

11] परामर्शदाताओं को नीचे दी गई सारणी के अनुसार उनकी सुविज्ञता तथा अनुभव के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा:-

श्रेणी	न्यूनतम अर्हताएँ	न्यूनतम अनुभव
सलाहकार	दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि	15 वर्ष
सलाहकार	स्नातकोत्तर उपाधि	18 वर्ष
वरिष्ठ परामर्शदाता	दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि	8 वर्ष
वरिष्ठ परामर्शदाता	स्नातकोत्तर उपाधि	12 वर्ष
परामर्शदाता	दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि	3 वर्ष
परामर्शदाता	स्नातकोत्तर उपाधि	5 वर्ष

नोट: वकीलों, लेखाकारों तथा इंजीनियरों के मामले में न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ संगत व्यावसायिक अर्हताएँ होंगी ।

12] आयोग उपयुक्त मामलों में, लिखित रूप में कार्रवायों को अभिलेख-बद्ध करके, परामर्शदाता के रूप में विचार किए जा रहे व्यक्ति की समग्र सुविज्ञता तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में छूट दे सकता है।

6. शुल्क एवं अन्य प्रभार

1] प्रत्येक श्रेणी के परामर्शदाता को नीचे दी गई दरों पर एक समेकित शुल्क देय होगा।

2] समेकित शुल्क के अलावा कोई अन्य अदायगी नहीं की जाएगी। अपवाद के रूप में आकस्मिक खर्चों के लिए अतिरिक्त राशि जो देय शुल्क की 10 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी, का भुगतान किया जा सकता है।

3] जिन मामलों में परामर्शदाताओं को यात्रा तथा निवास स्थान से दूर रहने के कारण अधिक खर्च करना पड़ता है, उनमें आयोग नीचे सारणी में यथा-सूचित अतिरिक्त खर्च की दैनिक भत्ते के रूप में एकमुश्त राशि में प्रतिपूर्ति करेगा जिसका निर्धारण प्रत्येक मामले में यथा-समुचित होगा। यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति समुचित यात्रा श्रेणी द्वारा अलग से की जाएगी जो भारत सरकार के 'क' श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के लिए अनुज्ञेय श्रेणी से कम नहीं होगी।

श्रेणी	प्रति श्रम दिवस शुल्क	दैनिक भत्ते के लिए प्रतिदिन एकमुश्त राशि
सलाहकार	3000/-रुपए	2000/रुपए
वरिष्ठ परामर्शदाता	2000/रुपए	1500/रुपए
परामर्शदाता	1200/-रुपए	1000/रुपए

4] देय शुल्क-धे विनियम परामर्शदाताओं के रूप में विनियोजित पूर्व तथा सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे।

5] एक संस्थान परामर्शदाता के मामले में अलग-अलग परामर्शदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए दरों को प्रस्ताव में परामर्शदाता समय के लिए आर्बाइटेड सागत के औचित्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। परामर्शदाता समय के लिए लागत के अलावा टेलीफोन, फोटो कापी, फैक्स पर खर्च आदि जैसे कार्यालय व्यय के लिए अतिरिक्त खर्च के रूप में देय शुल्क की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि

स्वीकार्य होगी। संस्थान परामर्शदाता के मामले में आकस्मिक खर्च के लिए सीमा, कार्यालय व्यय की अनुज्ञेय अतिरिक्त सञ्चि के अलावा परामर्शदाता को देय शुल्क का 10 प्रतिशत होगी।

7. परामर्शदाताओं की नियुक्ति

[1] विशिष्ट कार्यों के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु शर्तों एवं निबन्धन, आयोग के एक अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी तथा उसे आयोग का अनुमोदन लेने के लिए सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा।

[2] सचिव प्रस्ताव को आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि इसके लिए बजटीय प्रावधान है।

[3] शर्तों एवं निबन्धन में वर्णित सेवाएँ उपलब्ध बजट के समरूप होंगी।

[4] आयोग यह निर्णय करेगा कि तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्तावों को संयुक्त रूप में आमंत्रित किया जाए अथवा दोनों को पृथक रूप में आमंत्रित किया जाए।

[5] आयोग तकनीकी निविदाओं के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करेगा।

[6] आयोग द्वारा शर्तों एवं निबन्धन के अनुमोदन के पश्चात, सचिव इच्छुक परामर्शदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए जारी किया जाने वाला अनुरोध पत्र तैयार करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मामले में व्यापक प्रचार किया जाए। तथापि, उन मामलों में सार्वजनिक विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक नहीं होगा जिनमें शुल्क मूल्य दो लाख रूपए से कम हो।

8. प्रस्तावों के लिए अनुरोध

किसी प्रस्ताव के लिए अनुरोध में निम्नलिखित समाविष्ट होना:-

[क] परामर्शी सेवाओं के प्रावधान के लिए अनुबंध करने, निधि स्रोत, योजना का विवरण तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तारीख, समय और पता बताते हुए आयोग का एक आमन्त्रण पत्र।

[ख] परामर्शदाताओं के लिए सूचना में वह सभी आवश्यक सूचना निहित होगी जिसे परामर्शदाताओं को मूल्यांकन प्रक्रिया पर सूचना मुहैया करवाकर तथा मूल्यांकन मानदंड और बुधक संबंधित जानकारी व न्यूनतम पूर्व-अर्हता अंक का उल्लेख करके अनुक्रियात्मक प्रस्ताव तैयार करनेमें सहायता मिले।

शर्तों को विनियोजन के उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र और विद्यमान संगत अध्ययनों की सूची समेत पूर्व प्राप्त सूचना व परामर्शदाताओं को अपने प्रस्ताव तैयार करने में सुविधा हेतु आधारभूत डाटा को स्पष्ट परिभाषित करके तैयार किया जाएगा। अगर जानकारी हस्तांतरण, प्रशिक्षण उद्देश्य है तो शर्तों में प्रशिक्षित किए जाने वाले स्टाफ सदस्यों की संख्या दी जाएगी। शर्तों में सेवाओं तथा विनियोजन के लिए किए जाने वाले आवश्यक सर्वेक्षणों और प्रत्याशित परिणामों [उदाहरणार्थ, रिपोर्टें, डाटा, सर्वेक्षण आदि] की सूची होगी।

शर्तों प्रारूप संविदा अनुसूची- I में यथा-प्रमाण के अनुरूप होगी।

9. प्रस्तावों की प्राप्ति

[1] परामर्शदाताओं को अपने प्रस्ताव तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। यद्यपि अनुश्रेय अवधि विनियोजन पर निर्भर करेगी, तथापि यह अवधि दो सप्ताह से कम नहीं होगी जिसके दौरान शर्तों में प्रावधानित सूचना के बारे में फर्म स्पष्टीकरण माँग सकती हैं।

[2] आयोग अगर उचित समझता है तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ा सकता है।

[3] आयोग द्वारा नियुक्त एक शर्तों समिति के अलावा समय-सीमा के पश्चात तकनीकी अथवा वित्तीय प्रस्ताव में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव मोहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएंगे। जिन मामलों में आयोग यह विनिर्धारित करता है कि तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग प्रस्तुत किए जाने हैं तो वे पृथक मोहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएंगे।

10. प्रस्तावों का मूल्यांकन

प्रस्तावों का मूल्यांकन गुणवत्ता तथा लागत दोनों के आधार पर किया जाएगा। जिन मामलों में आयोग यह निर्णय लेता है कि प्रस्तावों को तकनीकी तथा वित्तीय आधार पर अलग-अलग मूल्यांकित किया जाना है तो तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांककों द्वारा जब तक तकनीकी मूल्यांकन पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक वे वित्तीय प्रस्तावों को नहीं देख सकेंगे।

11. तकनीकी मूल्यांकन

11] तकनीकी मूल्यांकन, आयोग द्वारा नामित एक समिति द्वारा निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। प्रत्येक मानदंड को 1 से 100 तक के पैमाने पर चिह्नित किया जाएगा तथा तब प्रत्येक मानदंड के लिए अंकों की औसत का निम्नलिखित परिसीमाओं में तकनीकी निर्लेखन के लिए तोलन किया जाएगा जिसे प्रत्येक प्रस्ताव के लिए तोलित औसत तकनीकी निर्लेखन के परिकलन के लिए आयोग के अनुमोदन से तकनीकी समिति द्वारा प्रयुक्त किया जाएगा: -

मानदंड	तोलन परिसीमाएँ
विनियोजन के लिए परामर्शदाता का संवत् अनुभव	0.10 से 0.20 तक
प्रस्तावित पद्धति-विज्ञान की गुणवत्ता	0.20 से 0.50 तक
प्रस्तावित मुख्य स्टाफ की अर्हताएँ	0.30 से 0.60 तक
आयोग के स्टाफ को जानकारी हस्तांतरण की सीमा	0.00 से 0.05 तक

नोट: आयोग द्वारा अनुमोदित भार-मिश्र का योज 1 होना चाहिए।

13] जिन मामलों में विनियोजन, मुख्यतः मुख्य स्टाफ के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है वहाँ प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंड अपनाकर नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित स्टाफ की अर्हताओं के आधार पर किया जाएगा: -

क] सामान्य अर्हताएं: सामान्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण, अनुभव की अवधि, धारित पद, परामर्शदात्री फर्म के साथ स्टाफ के रूप में सेवा अवधि, विकासशील देशों में अनुभव आदि।

ख] विनियोजन के लिए पर्याप्तता: शिक्षा, प्रशिक्षण, विशिष्ट उद्योग, क्षेत्र, विषय में अनुभव तथा विशिष्ट विनियोजन के लिए संवत्तव।

【3】 क्षेत्रीय अनुभव: स्थानीय/क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक तंत्र, संघटन तथा संस्कृति की जानकारी ।

【4】 तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो जाने के पश्चात आयोग उन परामर्शदाताओं का जिनके प्रस्ताव न्यूनतम अर्हताओं को पूरा नहीं करते अथवा जिन्हें शर्तों के अनुकूल नहीं समझा गया है, को सूचित करेगा और चयन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात उनके वित्तीय प्रस्तावों को बिना खोले वापिस लौटा देगा । इसके साथ-साथ, उन परामर्शदाताओं जिनके प्रस्ताव न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं, उन परामर्शदाताओं को अगर वह इच्छा रखते हैं, तो वित्तीय प्रस्तावों को खोलने के समय पर उपस्थित रहने के लिए पर्याप्त समय रहते सूचित करेगा ।

12. वित्तीय मूल्यांकन

【1】 पूर्व-अर्हता प्राप्त परामर्शदाताओं के वित्तीय प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से खोले जाएंगे । प्रस्तावित मूल्यों को ऊँची आवाज में पढ़ा जाएगा तथा उनका अभिलेखन सार्वजनिक बोली के कार्यवृत्त में किया जाएगा ।

【2】 सचिव वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे । श्रमिकों को ठीक किया जाएगा । एक समान विक्रय [विनिमय] दरों का प्रयोग करके लागत को एक ही मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा ।

【3】 न्यूनतम लागत वाले प्रस्ताव को 100 का वित्तीय अंक दिया जाएगा तथा अन्य प्रस्तावों को उनके मूल्यों के प्रतिलोम अनुपात में वित्तीय अंक दिए जाएंगे ।

13. वित्तीय एवं तकनीकी अंकों का मूल्यांकन:

【1】 कुल अंक, तकनीकी तथा वित्तीय अंकों के तोलन तथा उन्हें जोड़कर प्राप्त किए जाएंगे । वित्तीय अंक के लिए तोलन, विनियोजन की जटिलता तथा गुणवत्ता के सम्बद्ध महत्व को ध्यान में रखकर प्रत्येक मामले में आयोग द्वारा निर्धारण के अनुसार होना । तथापि, किसी भी मामले में वित्तीय अंक तोलन 0.3 से अधिक नहीं होगा ।

【2】 तकनीकी तथा वित्तीय मामलों के लिए आयोग एक वार्ता समिति नियुक्त कर सकता है । जहाँ तकनीकी पहलुओं पर बातचीत की जानी अपेक्षित हो उसे परामर्शदाताओं की पूर्व-अर्हता से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा । वित्तीय पहलुओं पर बातचीत, स्टाफ महीनों के लिए यूनिट दर, आकस्मिकता राशि, यात्रा तथा निर्वाह व्यय की प्रतिपूर्ति की एकमुश्त राशि तथा अदायगी शर्तों समेत वित्तीय प्रस्ताव के किसी भी पहलू हेतु की जा सकती है ।

13] आयोग सभी प्रस्तावों को शर्तों के अनुपालन में बहुत कमियाँ अथवा उनमें मूल आकलन से बहुत अधिक लागत लगने के कारण प्रतिकूल या अनुपयुक्त पाने पर निरस्त कर सकता है ।

14. एकल स्रोत चयन

एकल स्रोत चयन प्रक्रिया का प्रयोग केवल विशिष्ट मामलों में ही किया जाएगा जहाँ उपयुक्त तथा स्पष्ट लाभ परिलक्षित होता हो क्योंकि कार्य, परामर्शदाता द्वारा किए गए पिछले कार्य के अनुक्रम में है, अथवा जहाँ पर शीघ्र चयन किया जाना अनिवार्य है अथवा एक बहुत कम विनियोजन है जहाँ प्रत्येक मामले में देय शुल्क दो लाख रूपए से अधिक नहीं है अथवा केवल एक फर्म की अर्हता प्राप्त है अथवा वह विनियोजन के लिए अनुभव रखती है ।

15. परामर्शदाता विशेष का चयन

प्रत्येक परामर्शदाता की नियुक्ति उन विनियोजनों के लिए की जाएगी जिनके लिए कार्मिकों के दल एवं कोई अतिरिक्त बाहरी (बृह कार्यालय) व्यावसायिक सहायता की आवश्यकता न हो तथा संबंधित व्यक्ति का अनुभव तथा योग्यता ही अत्यधिक महत्व रखता हो ।

12] परामर्शदाता विशेष का चयन विनियोजन के लिए उसकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा । उनका चयन, सन्दर्भ अथवा विनियोजन में रुचि व्यक्त करने वाले अथवा आयोग द्वारा सीधे ही बुलाए गए व्यक्तियों की योग्यता की तुलना के माध्यम से किया जाएगा । कार्यक्षमता का अधिनिर्णय, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अनुभव तथा स्थानीय परिस्थितियों, प्रशासनिक तंत्र तथा सरकारी संगठन की जानकारी के आधार पर किया जाएगा ।

16. हित-टकराव

परामर्शदाताओं को किसी भी ऐसे विनियोजन के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसे उनके अन्य ग्राहकों के प्रति पूर्व अथवा वर्तमान दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो अथवा वे विनियोजन का निर्वाह निष्ठापूर्वक तथा निष्पक्ष रूप से न कर सकें ।

17. आयोग की अंतर्निहित शक्ति

ये प्रावधान आयोग को इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न प्रक्रिया को अपनाते से रोक

नहीं बना पाएंगे । अगर आयोग किसी मामले अथवा मामलों की श्रेणी की विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए तथा कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करके ऐसा करना आवश्यक समझता है ।

18. संशोधन संबंधी सामान्य शक्ति

आयोग किसी भी समय तथा ऐसी शर्तों पर जैसा वह उपयुक्त समझे, इन विनियमों को तैयार करने के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इन विनियमों के किसी भी प्राक्खान को संशोधित कर सकता है ।

19. कठिनाइयों को दूर करने संबंधी शक्ति

अगर इन विनियमों के किसी प्राक्खान को प्रभावी रूप से लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए अधिनियम के प्राक्खानों के साथ बिना असंमत हुए आवश्यक अथवा समीचीन जैसी ठीक सने, कार्रवाई कर सकता है ।

अनुसूची- I

.....के एक पक्ष तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग [इसके पश्चात इसका संदर्भ 'आयोग'] दूसरे पक्ष के बीचमाह के दिन....., को हुए करार के अनुच्छेद ।

जबकि आयोग ने प्रथम पक्ष पार्टी को एक परामर्शदाता के रूप में विनियोजित किया है तथा प्रथम पक्ष पार्टी इसके आगे निहित निबंधन एवं शर्तों पर आयोग को परामर्शी सेवाएँ देने के लिए सहमत है ।

अब ये सखी प्रस्तुत करते हैं तथा दोनों संबंधित पक्ष निम्नवत् रूप से सहमत हैं :'

1. प्रथम पक्ष आयोग तथा इसके अधिकारियों एवं प्राधिकारियों जिनके मातहत आयोग समय-समय पर उन्हें रखेगा, के आदेशों का पालन करेगा ।
2. प्रथम पक्ष अनुबंध 'क' में यथानिहित कार्य को.....से शुरू करके.....की अवधि में पूरा करेगा ।
3. प्रथम पक्ष को निम्नवत् भुगतान किया जाएगा:-
4. अदायगी कार्यक्रम निम्नवत् होगा:
5. परामर्शी कार्य के संबंध में स्थानीय यात्रा के लिए प्रथम पक्ष को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।
6. प्रथम पक्ष आयोग द्वारा अथवा आयोग के निर्देश पर किसी अन्य संगठन द्वारा दी गई सूचना तथा आंकड़ों को किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा । ऐसे सभी दस्तावेज और विनियोजन पर रहने के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में उसकी जानकारी में आने वाली इस प्रकार की अन्य सूचना आयोग की सम्पत्ति होने ।
7. प्रथम पक्ष यह वचन देता है कि इस विनियोजन का उसके अन्य ग्राहकों के प्रति उसके पूर्व अथवा वर्तमान दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही उसे इस विनियोजन के जिम्मेवारीपूर्वक तथा निष्पक्ष निर्वाह में परेशानी होगी ।

8. प्रथम पक्ष द्वारा कार्य के किसी भाग को ऊपर दोनों पक्षों में यथा-सम्मत समय-अनुसूची के भीतर पूरा न किए जाने की अवस्था में दूसरा पक्ष उस कार्य को किसी अन्य अभिकरण से प्रथम पक्ष के जोखिम तथा खानत पर पूरा करवा लेने के लिए स्वतंत्र होगा ।

9. इस करार के बारे में दोनों पक्षों के बीच कोई मतभेद या विवाद होने पर उसे आयोग द्वारा नामित मध्यस्थ को भेजा जाएगा । यह कार्यवाई समय-समय पर यथा-संशोधित मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के तहत की जाएगी ।

10. प्रथम पक्ष को शुल्क का भुगतान, उस समय लागू कानून के अनुरूप स्रोत पर आयकर कटौती के पश्चात् किया जाएगा ।

11. आयोग को बिना कोई कारण बताए परामर्शदाता के विनियोजन पर प्रतिबंध लगाने, उसे समाप्त अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा । इस प्रकार के मामलों में प्रथम पक्ष को इस प्रकार के प्रतिबंध, समाप्त अथवा निरस्तीकरण से पूर्व पूरे किए गए कार्य पर विचार करके प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसका निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा । इस प्रकार के मामले में निर्धारित तथा प्रदत्त प्रतिपूर्ति, अंतिम अदायगी के रूप में मानी जाएगी ।

12. किसी ऐसे मामले जिसका प्रावधान इस करार में नहीं किया गया है, के संबंध में परामर्शदाताओं के विनियोजन के विषय में सरकार के सामान्य अनुदेशों के प्रावधानों को लागू किया जाएगा ।

प्रथम पक्ष तथा आयोग की ओर से.....उपर्युक्त के साक्षी के रूप में ऊपर लिखित दिन तथा वर्ष को सहमत हुए ।

.....की उपस्थिति में प्रथम पक्ष.....द्वारा हस्ताक्षरित ।

.....की उपस्थिति में आयोग के लिए तथा आयोग की ओर से.....द्वारा हस्ताक्षरित ।

संजीव एम. आहस्तुवालिया, सचिव

[त्रिजापन/3/4/150/असाधारण/99]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 1999

F.No. 1/18(28)/99-CERC.—In exercise of power conferred on it by Section 55 of the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (Act 14 of 1998) the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely :—

1. Short title and commencement

- (i) These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 1999.
- (ii) These shall come into force with effect from September 21, 1999.

2. Definitions

- (1) In these Regulations unless the context otherwise requires –
 - (a) "Act" means, Electricity Regulatory Commissions Act, 1998.
 - (b) "Commission" means the Central Commission constituted under Section 3(1) of the Act.
 - (c) "Consultant" includes any individual, firm, body or association or persons, not in the employment of the Commission, who or which possesses or has access to any specialised knowledge, experience or skill.
 - (d) "Officer" means an officer of the Commission.
 - (e) "Secretary" means the Secretary of the Commission.
- (2) Words or expressions occurring in these Regulations and not defined herein but defined in the Act shall bear the same meaning as in the Act.

3. Scope of Work

- (1) Consultants will not be normally appointed for routine day to day work for which staff is available.
- (2) Consultants would be engaged for executing specialised tasks for which skills are either not available within the staff of the Commission or where the nature of jobs is specific and time-bound.

(3) Detailed terms of engagement will be drawn up in each case and agreed to between the Consultant and the Commission prior to award of consultancy.

(4) The terms of engagement would specify the exact nature of the tasks to be undertaken by the Consultant, the time allowed for completion of each task and the specific outputs that are to be provided by the Consultant in relation to each task.

4. Period of engagement

Consultants will be engaged for the minimum period required. In no case will the maximum period of engagement exceed two years.

5. Categorisation of Consultants

(1) Individual consultants will be categorised into three groups based on their expertise and experience, as per the table given below:-

Category	Minimum Qualifications	Minimum Experience
Advisers	Ph.D	15 years
Advisers	Masters Degree	18 years
Sr. Consultants	Ph.D	8 years
Sr. Consultants	Masters Degree	12 years
Consultants	Ph. D	3 years
Consultants	Masters Degree*	5 years

Note: In the case of lawyers, Accountants and Engineers, the minimum educational qualifications will be the relevant professional qualification

(2) The Commission may in appropriate case, for reasons to be recorded in writing, relax the minimum educational qualifications keeping in view the overall expertise and experience of the person being considered for engagement as Consultant.

6. Fees & Other Charges

(1) A consolidated fee at the rates mentioned below would be payable for each category of individual Consultant:-

(2) No other payments apart from the consolidated fee will be paid except an additional amount to cover contingencies, which will be capped at an amount of 10% of the fees payable.

(3) Where the Consultants has to incur expenditure on travel and stay at a place away from the normal place of residence, the Commission will reimburse DA by allowing an additional expenditure in lumpsum as indicated in the table below The number of days on which this lumpsum will be payable will be determined as appropriate in each case. The cost of travel will be separately reimbursed by an appropriate class of travel, which will never be lower than that permitted for a Grade A gazetted officer of the Government of India.

Category	Fee Per Man-day	Lumpsum per day for Daily Allowance
Advisers	Rs.3000/-	Rs 2000
Sr. Consultants	Rs.2000/-	Rs 1500
Consultants	Rs.1200/-	Rs 1000

- (4) These regulations regarding fees payable will also apply to former and retired Government servants engaged as Consultants.
- (5) In the case of an institutional consultant the rates for different categories of individual consultants will be used to determine the reasonableness of costs allocated to consultant time in the proposal. In addition to the costs for consultant time a maximum of 10% of the fees payable will be allowable for overheads on account of office expenditure like telephone, photocopying, fax, expenses etc. The limit for contingency in the case of institutional consultant will be 10% of the fees payable for consultant time besides the amount allowed as overhead for office expenses.

7. Appointment of Consultants

- (1) Terms of Reference for the appointment of Consultants for specific tasks will be prepared by an officer of the Commission and will be submitted to the Secretary for seeking the approval of the Commission.
- (2) The Secretary will ensure that budgetary provision exists for the proposal prior to putting the proposal up for consideration by the Commission.
- (3) The scope of the services described in the TOR shall be compatible with the available budget.
- (4) The Commission may decide either to invite combined technical and financial proposals or separate technical and financial proposals.
- (5) The Commission will prescribe the minimum qualifying mark for the technical bid.
- (6) After approval of the Terms of Reference by the Commission, the Secretary will cause the Request for Proposals to be issued inviting proposals from interested consultants, ensuring that appropriate publicity is given in each case. It will not however, be necessary to go through the process of issue of public advertisement particularly where the value of the fee is below Rs.2 lakh in each case.

8. Request for proposals

The request for proposal shall include the following:-

- (a) A letter of invitation stating the intention of the Commission to enter into a contract for provision of a consulting services, the source of funds, the details of the plan and the date, time and address for submission of proposals.

- (b) Information to Consultants shall contain all necessary information that will help Consultants prepare responsive proposals by providing information on the evaluation process and by indicating the evaluation criteria and factors and their respective weights and the minimum pre-qualification score.
- (c) Terms of reference shall be prepared to define clearly the objectives, goals and scope of the assignment and provide background information including a list of existing relevant studies and basic data to facilitate the Consultants preparation of their proposals. If transfer of knowledge, training is an objective the TOR will detail the number of staff to be trained. TOR shall list the services and surveys necessary to carry out the assignment and the expected outputs (for example reports, data, surveys etc.) linked to each task in the TOR.
- (d) Draft contract as per performa in Schedule I.

9. Receipt of proposals

- (1) Enough time shall be allowed for the Consultant to prepare and submit their proposals. While the time allowed shall depend on the assignment, it will normally not be less than two weeks, during which period firms may seek clarifications about the information provided in the TOR.
- (2) The Commission may decide to extend the deadline for submission of proposals, as deemed appropriate by it.
- (3) No amendments to the technical or financial proposals shall be accepted after the deadline except before a negotiating committee appointed by the Commission. The proposals shall be submitted in sealed cover. Where the Commission prescribes that separate technical and financial proposals to be submitted they shall be submitted in separate sealed envelopes.

10. Evaluation of proposals

Proposals will be evaluated both on the basis of quality as well as cost. Where the Commission decides that proposals are to be evaluated separately on technical and financial basis, the evaluators of the technical proposal shall not have access to the financial proposals, until the technical evaluation is completed.

11. Technical Evaluation

- (1) Technical evaluation will be done by a committee nominated by the Commission taking into account the following criteria. Each criterion shall be marked on a scale of 1 to 100 and then the marks for each criteria shall be weighted to become average technical scores. Weights in the following ranges will be used by the technical committee with the approval of the Commission to calculate the weighted average technical score for each proposal:-

Criterion	Range of Weights
The Consultants relevant experience for the assignment	0.10 to 0.20
The quality of the methodology proposed.	0.20 to 0.50
The qualifications of the key staff proposed.	0.30 to 0.60
The extent of transfer of knowledge to the staff of the Commission.	0.00 to 0.05

Note: The mix of weights approved by the Commission must total to 1.

(3) Where the assignment depends critically on the performance of the key staff the proposal shall be evaluated on the qualifications of the individuals proposed to be appointed using the following criteria:-

- (a) *General qualifications* : General education and training, length of experience, positions held, time with the consulting firm as staff, experience in developing countries etc.
- (b) *Adequacy for the assignment* : Education, training, experience in the specific sector, field, subject and relevance to the particular assignment.
- (c) *Regional Experience* : Knowledge of the administrative system, organisation and culture at the local/regional level.

(4) After the technical evaluation is completed the Commission shall inform those Consultants whose proposals did not meet the minimum qualifying mark or were considered non-responsive to the terms of reference and their financial proposals will be returned unopened after completing the selection process. Simultaneously, those Consultants who have secured the minimum qualifying marks shall be informed about the date and time for opening the financial proposals giving sufficient time for the Consultants to be present at the opening should they so desire.

12. Financial Evaluation

(1) The financial proposals of the pre-qualified Consultants will be opened publicly. The proposed prices shall be read aloud and recorded in a minute of the public opening.

(2) The Secretary will cause a review of the financial proposals to be done. Arithmetical errors will be corrected. The cost will be converted to a single currency using uniform selling (exchange) rates.

(3) The proposal with lowest cost will be given a financial score of 100 and other proposals given financial scores that are inversely proportional to their prices.

13. Evaluation of financial and technical scores

(1) The total score shall be obtained by weighting the technical and financial scores and adding them. The weight for the financial score shall be as prescribed by the Commission in each case taking into account the complexity of the assignment and the relative importance of quality. However, the weight will never exceed 0.3 for the financial score in any case.

(2) The Commission may appoint a negotiating committee to enter into both technical and financial negotiations. Where technical negotiations are conducted they will be completed prior to pre-qualification of the Consultants. Financial negotiations can be entered into for any aspect of the financial proposal including the unit rates for staff months, contingency amounts, lumpsum reimbursement of travel and living expenses and payment terms.

(3) The Commission may reject all proposals if they are found to be unresponsive or unsuitable either because they represent major deficiencies in complying with the TOR or they involve cost substantive higher than the original estimate.

14. Single source selection

Single source selection shall be used only in exceptional cases where it is appropriate and represents a clear advantage because the tasks represent a natural continuation of previous work carried out by the Consultant, or where a rapid selection is essential, or for very small assignments where the fee payable does not exceed Rs.2 lakhs in each case or where only one firm is qualified or has experience for the assignment.

15. Selection of Individual Consultants

(1) Individual Consultants will be employed for assignments for which teams of personnel are not required, no additional outside (home office) professional support is required and where the experience and qualifications of the individual are the paramount requirement.

(2) Individual Consultants will be selected on the basis of their qualifications for the assignment. They may be selected on the basis of references or through comparison of qualifications among those expressing interest in the assignment or approached directly by the Commission. Capability will be judged on the basis of academic background, experience and as appropriate – knowledge of local conditions, administrative system and government organisation.

16. Conflict of Interest

Consultants shall not be hired for any assignment that would be in conflict with their prior or current obligations to other clients or that may place them in a position of not being able to carry out the assignments objectively and impartially.

17. Saving of inherent power of the Commission

Nothing in these provisions shall bar the Commission from adopting a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of the matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient to depart from the procedure prescribed in the regulations.

18. General power to amend

The Commission may at any time and on such terms as it may think fit amend any provisions of these Regulations for the purpose of meeting the objectives with which these Regulations have been framed.

19. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations the Commission may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Act which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

SCHEDULE I

ARTICLES OF AGREEMENT made on this _____ day of _____
BETWEEN _____ of _____ of the one part and the Central
Electricity Regulatory Commission (herein after called "the Commission") of the other
part.

WHEREAS the Commission has engaged the party of the first part as a Consultant and the party of the first part has agreed, to provide the consultancy services to the Commission, on the terms and conditions hereinafter contained.

NOW THESE PRESENTS WITNESS and the parties hereto respectively agree as follows:

1. The party of the first part shall submit himself to the orders of the Commission and of the officers and authorities under whom he may from time to time be placed by the Commission
2. The party of the first part shall complete the assignment as contained in Annexure 'A' within a period of _____ commencing from _____.
3. The party of the first part shall be paid as under.
4. The schedule of payments shall be as under.

5. No TA/DA shall be admissible to the party of the first part for local journeys in connection with the consultancy assignment.

6. The party of the first part shall not disclose to any unauthorised person any information and data that may be supplied to him by the Commission or by any other organisation, under the directions of the Commission. All such documents shall be the property of the Commission or any information that may have come to his knowledge directly or indirectly by virtue of the assignment.

7. The party of the first part undertakes that this assignment shall not be in conflict with his prior or current obligation to other clients nor shall it place him in a position of not being able to carry out the assignments objectively and impartially.

8. In case of any default on the part of the party of the first part in completion of the work within the time schedule agreed to between the parties as herein above, the party of the second part shall be at liberty to get the work completed from any other agency at the risk and cost of the party of the first part.

9. In case of any differences or disputes between the parties arising out of this Agreement, it shall be referred for arbitration of a person nominated by the Commission. The proceedings shall be subject to the Arbitration and Conciliation Act 1996, as amended from time to time.

10. The payment of fee to the party of first part shall be made by the Commission after the deduction of tax at source in accordance with law for the time being in force.

11. The Commission reserves its right to foreclose, terminate or cancel the engagement of the Consultant without assigning any reasons. In such cases party of the first part shall be paid remuneration after taking into consideration the part of work completed prior to such foreclose, termination or cancellation of the engagement as may be decided by the Commission, and the decision of the Commission shall be conclusive and binding. The remuneration so fixed and paid shall be deemed to be the final payment in such cases.

12. In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement, the provisions contained in the general instructions of the Government on the subject of engagement of consultants shall apply.

In witness whereof the party of the first part and _____ to the Commission on behalf of the Commission have hereto put their hands the day and the year first above written.

Signed by _____ the party of the first part in the presence of _____

Signed by _____ the said to the Commission for and on behalf of the Commission in the presence of _____

SANJEEV S. AHLUWALIA, Secy.

[Adv/III/IV/150/Exty/99]

